शीर्षक सत्यापन पत्र/Title Verification Letter

RNI Reference No.: 1252004 **Title Code:-UPBIL04411**

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक का कार्यालय OFFICE OF THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS FOR INDIA

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

पश्चिमी खंड 8,विंग 2,आर के पुरम,नई दिल्ली 66 West Block-8,Wing No.2,R.K.Puram,New Delhi-110066

सत्यापित दिनांक/Verification Date : 10/6/2014

To, DISTRICT MAGISTRATE (DM)

जिला District: GHAZIABAD

राज्य State: उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

विषय: समाचार पत्र शीर्षक Sub:Newspaper Title — LEGAL JOURNAL OF ROYAL COLLEGE OF LAW

भाषा Language: अंग्रेजी हिन्दी ENGLISH HINDI — आवर्तिकता Periodicity: तिमाही QUARTERLY

के नाम अनुमोदित Approved in favour of Shri/Smt./Miss — ROYAL COLLEGE OF LAW

से प्रकाशन हेतु Proposed to be published from — GHAZIABAD

सदर्भ आपका पत्र/पृष्ठांकन सं Reference:Your Letter/Endorsement No — 60 20/5/2014

महोदय Sir,

1. इस शीर्षक का सत्यापन प्रेस एवं पुस्तक पंजीकरण अधिनियम 1867 कि धारा 6 में निहित प्रावधानों के अनुसार किया गया है।अतः आप अधिनियम कि धारा 5 के अनुसार प्रकाशक/मुद्रक के घोषणापत्र को अधिप्रमाणित कर के आगे की कार्यवाई के लिए इस कार्यालय को भेज सकते हैं।घोषणापत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर संदर्भ संख्या,प्राधिकृत प्राधिकारी के हस्ताक्षर,पूर्ण नाम एवं मोहर स्पष्ट होनी चाहिए । आर.एन.आई. की वेबसाइट से डाउनलोड पत्र को स्कैन किये गये हस्ताक्षर के साथ, घोषणापत्र दाखिल करने के लिए वैध दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। घोषणापत्र का प्रपत्र(फार्म-I)आर.एन.आई. की वेबसाइट www.rni.nic.in पर उपलब्ध है।

This title has been verified in terms of the provison to Section 6 of the PRB ACT 1867 You may,therefore,authenticate the **declaration** of the publisher/printer,as per section 5 of the Act and forward the same to this office for further action. **Each page of the declaration should be authenticated clearly with reference number,signature,full name and seal of the authenticating authority.**This title verification letter with scanned signature,downloaded from RNI website may be accepted as a valid document for authenticating declaration.This performa(FORM-I) of declaration is available on RNI website www.rni.nic.in

घोषणापत्र को अधिप्रमाणित करते समय आप का ध्यान निम्न कि ओर आकर्षित किया जाता है:-

Your attention is invited to the following while authenticating the declaration:

(क)प्रकाशक एवं मुद्रक अलग-अलग व्यक्ति होने की स्थिती में उनके द्वारा अलग-अलग घोषणापत्र दाखिल करना जरूरी है।

Where the publisher and printer are not the same, separate declarations from printer and publisher shall be necessary.

(ख)यदि प्रिंटिंग प्रेस प्रकाशन स्थल से अलग किसी अन्य जिले में स्थित है तो उस जिले से भी अलग मुद्रक द्वारा घोषणापत्र दाखिल करना होगा।(प्रिंटर का अर्थ है वह व्यक्ति जिसका उल्लेख घोषणापत्र के कालम 7 में प्रिंटर के रूप में किया गया है न वह व्यक्ति जो अधिनियम की धारा 4 के अनुसार कि प्रिंटिंग प्रेस का रक्षक है।)

If printing press is in a district other than the place of publication,separate declaration by printer is required from the district having printing press.(Printer here means person mentioned as printer in column 7 of declaration and does not mean keeper of the printing press under section 4 of the Act).

(ग)जहां प्रकाशक तथा/अथवा प्रिंटर स्वामी नहीं है ऐसी स्थिति में घोषणापत्र के साथ उस व्यक्ति को प्रकाशक तथा/अथवा प्रिंटर के रूप में घोषणापत्र दाखिल करने के लिए स्वामी दाखिल करने के लिए स्वामी द्वारा एक अनुज्ञप्ति पत्र दिया जाना अनिवार्य है [अधिनियम की धारा 5(2 बी)]।

Where the publisher and/or printer are not the owner,the declaration shall be accompanied by an authorization letter from the owner authorizing the person as publisher and/or printer to file declaration(section5(2B) of Act).

(घ)सप्ताह में एक बार अथवा उससे कम आवधिकता वाले प्रकाशनों के मामलों के घोषणापत्र के अधिप्रमाणन के 6 सप्ताह के भीतर तथा अधिक आवधिकताओं वाले प्रकाशनों के मामलों में अधिप्रमाणन के 3 महीने के भीतर यदि प्रकाशन शुरू नहीं किया जाता है तो प्रकाशनके संबंध में किया गया घोषणापत्र अमान्य हो जायेगा।[अधिनियम की धारा 5(5)]

A declaration made in respect of the publication shall be void if the publication does not commence within 6 weeks from the date of authentication of declaration in case of publication to be published once a week or of lesser periodicity and

within 3 months of authentication of eclaration in case of publications with higher periodicities(section 5(5) of Act)

2. घोषणापत्र के अधिप्रमाण के बाद प्रकाशक को वर्ष 1 अंक 1 का प्रकाशन तथा घोषणापत्र में यथा उल्लेखित प्रेस से मुद्रण कराना होगा।प्रकाशन में मुख्य रूप से समाचार/विचार/लेख/आदि होने चाहियें।प्रकाशन में निम्न बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए
After authentication of declaration,the publisher should publish and print volume 1 issue 1 of the publication **printed in the press**mentioned in the declaration.The publication should **primarily contain news/views/article etc**.Following should be taken care of, in the publication:

(क)मेंास्टहेड में दर्शाया गया शीर्षक यथा अनुमोदित होना चाहिए तथा किसी विद्यमान शीर्षक के सदृश/नकल नहीं होना चाहिए।प्रकाशन के मेंास्टहैड में शीर्षक का प्रदर्शन एक समान फौंट/अक्षर आकार में 25 प्रतिशत से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए।शीर्षक का प्रदर्शन उर्ध्वाधार अथवा क्षितिज रूप में होना चाहिए।
The title displayed in tha masthead sholud be as approved and should not resemble/imitate any existing title.The title shall be displayed in uniform font/letter size in masthead of the publication.The difference in font/letter size should not be more than 25%.The title shall be displayed either horizontally or vertically.

(ख)मेंास्टहैड तथा प्रत्येक पृष्ठ पर वर्ष तथा अंक संख्या,तारीख/महीना/वर्ष तथा प्रकाशन स्थल का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए।
The masthead and each page should also display clearly volume and issue no.date/month/year and publication city.

(ग)इंप्रिंट लाइन स्पष्ट रूप से इस प्रकार छपी होनी चाहिए "मुद्रक_____तथा प्रकाशक_____द्वारा(स्वामी का नाम)के पक्ष में_____(मुद्रण स्थल)से मुद्रित तथा_____(प्रकाशन स्थल) से प्रकाशित,संपादक_____"।
The **imprint line**should be printed legibly as"printed by_____and published by_____on behalf of_____(name of owner)_____and printed at_____(place of printing) and published at_____(place of publication)_____Editor_____"

(अंग्रेजी अथवा हिंदी के अलावा अन्य भाषाओं के प्रकाशनों के मामले में शीर्षक,वर्ष/अंक संख्या,तारीख/महीना/वर्ष,प्रकाशन स्थल तथा इंप्रिंट लाइन को अंग्रेजी में भी संदर्भ हेतु (छोटे फौंट आकार में हो सकता है)दर्शाया जाना चाहिए।)
(In case of publication in languages other than english or hindi,the title,volume/issue no,date/month/year,publication city and imprint line **should also be displayed in English** for reference (it can be in small font size).

3.इसके उपरांत आवश्यक दस्तावेज (पूर्ण एंव सही) आर.एन.आई में जमा कर पंजीयन प्रमाणपत्र प्राप्त लेना होगा।पंजीयन के लिए आवेदन प्रापत्र,वांछित दस्तावेजों की सूची तथा कोई विदेशी गठबंधन नहीं शपथपत्र एवं मुद्रक अनुबंध प्रपत्र आर.एन.आई की वेबसाईट www.rni.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते है।यह शीर्षक दो वर्षों के लिए वैध होगा तथा यदि इस अवधि के दौरान प्रकाशकइसका पंजीकरण नहीं कराता है तो यह शीर्षक स्वतः ही डी-ब्लाक हो जाएगा तथा यह शीर्षक फिर किसी भी आवेदक के लिए उपलब्ध होगा।
After that the publisher has to obtain registration certificate by submitting required documents(complete and correct) to RNI.The **application proforma** for registration,**list of required documents** and format of **No foreign Tie up affidavit** and **printer agreement** may be downloaded from RNI website www.rni.nic.in
This title is valid for two years and if publisher does not get it registered within this period,the title will be deblocked automatically and will be available to others.

4.पंजीयन से पहले सत्यापित शीर्षक अहस्तातरणीय है।
This verified title is not transferrable before registration.

Copy to(for information):

ROYAL COLLEGE OF LAW 28
KM. STONE, NH- 24, DELHI
HAPUR BYEPASS ROAD, DASNA
POST, ADHYATMIK NAGAR,
DIST. GHAZIABAD- 201302, U.P.

Yours faithfully,

मनोज/Manoj
पंजीयन पर्यवेक्षक (शीर्षक अनुभाग)/Registration Supervisor (Title Section)

This letter is generated from the official website of RNI ie. https://rni.nic.in. In case of doubt, District Authorities may contact APR on Phone No.26175947 or through email: agrhrm@nic.in